

अपील क्रमांक 178/बो.प्र./नि.स./2022  
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)  
जल संसाधन विभाग,  
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,  
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /09/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 178/बो.प्र./नि.स./2022

**अपीलार्थी**

श्री डी.आर. यादव,  
प्लॉट नं.-4 साई मंगलम के पास विद्युत नगर,  
दुर्ग (छ.ग.)  
मो.नं. 9406008826

विरुद्ध

**उत्तरवादी**

श्री ए.के. साय,  
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख  
अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 12.09.2022

1. अपीलार्थी श्री डी.आर. यादव अनुपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप:
  - (i) आवेदक/अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र क्रं. 49, दिनांक 20.06.2022 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री आर.के. धृतलहरे पूर्व विद्युत/यांत्रिकी, उप अभियंता पद पर रहते हुए इंजीनियरिंग स्नातक उपाधि प्राप्त की है। डिग्री प्रदान करने वाली संस्था यूनिवर्सिटी की वैधानिकता/मान्यता प्राप्त करने के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया, जिसका इस कार्यालय का आवक क्रं. 1048, दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ।
  - (ii) जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रं. 6763, दिनांक 14.07.2022 को पत्र द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि चाही गई वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी को अवलोकनार्थ हेतु नोटशीट की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया गया।
  - (iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 18.08.2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02.09.2022 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया। किन्तु आवेदक/अपीलार्थी दिनांक 02.09.2022 को सुनवाई में अनुपस्थित रहा। आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण उन्हें एक अवसर दिया जाकर अगली सुनवाई दिनांक 12.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें दी गई।
4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 12.09.2022 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ। स्थापना शाखा से प्राप्त (नोटशीट) अंकित टीप की छायाप्रति संलग्न कर आवेदक को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/127/छ.ग./2022/6763, दिनांक 14.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

5. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियम अवधि से पूर्व आवेदक को विस्तृत रूप से सूचित किया था।  
(ii) आवेदक/अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक 6763, दिनांक 14.07.2022 द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि चाही गई वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।  
(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर अपील की जो दिनांक 18.08.2022 को प्राप्त हुई। प्रथम सुनवाई दिनांक 02.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। द्वितीय सुनवाई दिनांक 12.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
6. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा स्थापना शाखा से प्राप्त (नोटशीट) अंकित टीप की छायाप्रति संलग्न कर आवेदक को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/127/छ.ग./2022/6763, दिनांक 14.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण निराकृत किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(वीरेन्द्र तिवारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./178/बो.प्र./नि.स./2022/8173

रायपुर, दिनांक 13/09/2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाइट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.आर. यादव, प्लॉट नं.-4 साई मंगलम के पास विद्युत नगर, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



(वीरेन्द्र तिवारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)